


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

राधेश्याम बनाम तहसीलदार कोटखावदा व अन्य

प्रकरण संख्या : 47 / 2025 (मुत्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
18.09.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि तहसीलदार कोटखावदा के पीठासीन अधिकारी श्रीमती अनिता कुमारी, आर.टी.एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।</p> <p>उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी ने तहसीलदार कोटखावदा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 03/2024 ब- उनवानी रामजीलाल बनाम रामराय व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्रीमती अनिता कुमारी, आर.टी.एस. से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र समकक्ष न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>तहसीलदार कोटखावदा के पीठासीन अधिकारी श्रीमती अनिता कुमारी, आर.टी.एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुत्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (Infructuous) हो गया है, फलस्वरूप प्रार्थी का मुत्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> (डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर जयपुर</p>	